<u>'ओआर' ग्रेड सिल्मेनाइट-2023-24 के लिए मात्रा बिक्री अनुबंध के माध्यम से वार्षिक सामग्री लिंकेज (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश करने के लिए उपयोगकर्ता उद्योग से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण</u>

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर उत्पादन योजना हेतु सिल्मेनाइट की मांग को पूरा करने और साथ ही कम या अधिक स्थायी आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ ग्राहकों की सहायता करने की दृष्टि से, आईआरईएल सिल्मेनाइट के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) निष्पादित करने के लिए इच्छुक है। आईआरईएल के ग्राहक और भावी ग्राहक जो ओडिशा में आईआरईएल की ऑसकॉम इकाई से सिल्मेनाइट ओआर ग्रेड को लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हे उस मात्रा के लिए एएमएलक्यूएससी के साथ आमंत्रित किया जाएगा, जिसे वे वर्ष 2023-2024 के दौरान मासिक ब्रेक-अप के साथ प्राप्त करना चाहेंगे।

यह वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री का अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आधारित होगा:

1. यह वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए है।

2. संदर्भ के अधीन वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश करने के लिए इच्छुक ग्राहक / संभावित ग्राहक, उक्त अवधि के दौरान आईआरईएल से जितनी मात्रा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उसे वे 21 मार्च 2023 तक सूचित करें । इस तिथि के बाद प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. ग्राहक मूल्य वृद्धि की सुविधा के साथ सिल्मेनाइट का वास्तविक उपयोगकर्ता होना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, सामग्री के स्रोत के अनुरोध के साथ ग्राहक द्वारा अनुलग्नक-1 में दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी। मूल्य वृद्धि करने वाले मौजूदा ग्राहकों द्वारा दस्तावेजी प्रमाण जमा करने पर छूट दिया जा सकता है।
4. आईआरईएल से खरीदी गई सामग्री का उसी स्थिति में निर्यात या व्यापर नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, ग्राहक उस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे। इस उद्देश्य के लिए ग्राहक के रिकॉर्ड को सत्यापित करने का अधिकार और वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) का विकल्प आईआरईएल के पास सुरक्षित है, जिसपर ग्राहको की सहमति आवश्यक है। ग्राहक द्वारा इस शर्त के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, आईआरईएल के पास वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) को समाप्त करने और उचित क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा।
5. कुल मांग उपलब्धता से अधिक होने के मामले में, आईआरईएल को अपने स्थापित मांग के आधार पर मौजूदा ग्राहकों को वरीयता देने के साथ सिल्मेनाइट को अनुपात के आधार पर पेश करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. आपूर्ति की मात्रा को अंतिम रूप देने के पश्चात आईआरईएल मात्रा के लिए ग्राहक के साथ वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश करेगा। आपूर्ति सूची मूल्य पर की जाएगी, जिसे आयातित एंडलुसाइट (सिल्मेनाइट की बहुरूपता) की कीमत के लिए बेंचमार्क किया जाएगा। आईआरईएल सूची मूल्य पर छूट प्रदान करेगा, जिसे स्पष्ट रूप से एएमएलक्यूएससी में उल्लेखित किया जाएगा, कि आईआरईएल प्रत्येक ग्राहक के साथ प्रवेश करेगा।

7. एएमएलक्यूएससी के तहत आपूर्ति के लिए सहमति दी गई मात्रा, विभिन्न प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखने के पश्चात प्रत्याशित उत्पादन पर आधारित होगी। हालांकि एएमएलक्यूएससी के अनुसार आईआरईएल सहमत मात्रा की आपूर्ति करने का प्रयास करेगा, क्योंकि सिल्मेनाइट का निष्कासन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य विषयों में संवैधानिक अनुमोदन के कारण कैपिंग अयस्क खनिज में भारी खनिजों की सामग्री, कुल भारी खनिज में सिल्मेनाइट का प्रतिशत, आदि शामिल है। जो कि आईआरईएल के नियंत्रण से बाहर हैं, एएमएलक्यूएससी के तहत आईआरईएल के पास आपूर्ति को रोकने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) पर हस्ताक्षर करने से पहले, आईआरईएल उस मात्रा को सूचित करेगा, जिसके लिए वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश किया जाएगा और ग्राहक आईआरईएल को प्रदर्शन गारंटी के रूप में कुल वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) के मूल्य का 5% प्रेषित करेगा। इस राशि को अंतिम आपूर्ति के प्रतिकूल समायोजित किया जाएगा।

9. खनन के क्षेत्र में आईआरईएल के साथ किसी भी तरह से हितों के प्रतिकूल कंपनियों / विवादों या आईआरईएल के साथ चल रहे कानूनी विवादो के साथ वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा, सहयोगी/सहायक कंपनियां या ऐसी संस्थाओं से संबंधित कंपनियां वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) में प्रवेश करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. उक्त आवश्यकता और दस्तावेजों को ई-मेल और/या मेल द्वारा निम्नलिखित पते पर लिफाफा **"वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध के लिए सिल्मेनाइट 'ओआर' ग्रेड"** के साथ प्रस्तुत करें।

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
ईसीआईएल बिल्डिंग,
1207, वीर सावरकर मार्ग
सिद्धिविनायक मंदिर के सामने
प्रभादेवी
मुंबई - 400 028
ई-मेल: dir_mktg@irel.co.in

11. आईआरईएल के पास वार्षिक सामग्री लिंकेज के माध्यम से मात्रा बिक्री अनुबंध (एएमएलक्यूएससी) को बदलने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है या एएमएलक्यूएससी की प्रचलन के दौरान प्राप्त किसी भी परिस्थितियों के आधार पर अपने विवेकाधिकार पर उसी के माध्यम से वापस लिया जाएगा।

12. किसी भी विवाद के मामले में, निदेशक (विपणन) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह शर्त ग्राहक द्वारा स्वीकार की जानी है और जिसके पश्चात वे एएमएलक्यूएससी का हिस्सा बनेंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुलग्नक – 1

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण
1.	कारखाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र
2.	कारखाना लाइसेंस
3.	डीआईसी (जिला उद्योग केंद्र) प्रमाण पत्र। एसएसआई /डीआईसी के अभाव में, एनएसआईसी/एमएसएमई अथवा कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआईएन)
4.	आईबीएम पंजीकरण प्रमाणपत्र (http://ibmreg.nic.in/)
5.	आपके द्वारा एसपीसीबी (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) से किया गया आवेदन
6.	वायु/जल अधिनियम के तहत एसपीसीबी की स्थापना के लिए सहमति
7.	वायु / जल अधिनियम के तहत एसपीसीबी का परिचालन करने के लिए सहमति
8.	आईटी वापसी (आयकर रिटर्न)
9.	कंपनी और सभी निदेशकों / भागीदारों का पैन कार्ड
10.	सभी निदेशकों / भागीदारों का वोटर आईडी / पासपोर्ट / आवासीय प्रमाण पत्र
11.	फर्म की पार्टनरशिप डीड/साझेदारी विलेख (कंपनी के मामले में आवश्यक नहीं)
12.	कंपनी के संघ के ज्ञापन और कंपनी के संघ के लेख (सभी पृष्ठ) (पंजीकृत कंपनी के मामले में)
13.	निदेशक मंडल/भागीदारों (नाम, पता, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट नंबर, टेलीफोन नं, ई-मेल आईडी) का विवरण
14.	निदेशक मंडल का प्रस्ताव (पंजीकृत कंपनी के मामले में)
15.	नियुक्ति/निदेशक की नियुक्ति / परिवर्तन के संबंध में प्रमाण दस्तावेज, यदि कोई हो (फॉर्म -32) (कंपनी के मामले में)
16.	एमसीए 21– कंपनी की स्थिति और निदेशकों की सूची एमसीए (कंपनी मामलों के मंत्रालय) की वेबसाइट में दिखाई देंगे (एक पंजीकृत कंपनी के मामले में)
17.	जीएसटी पंजीकरण का विवरण
18.	मूल्य-वृद्धि के लिए उत्पाद को प्राप्त करने के पश्चात अंतिम-उपयोग आवेदन
19.	कंपनी का संक्षिप्त प्रोफाइल।
20.	पिछले 4 वित्तीय वर्ष (2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20) के दौरान आईआरईएल (क्यू और ओआर टन अलग से प्रदर्शित) से वर्ष-वार सिल्मेनाइट प्राप्त किया गया।